खरीदारवार पॉलिसियाँ - अल्पावधि (ख पॉ - अव)

विषय वस्तु

>> ख.पॉ. - अ व क्या है तथा इसे कौन ले सकता है ?
>> विभिन्न प्रकारी की ख पॉ (अ व) क्या हैं ?
>> ख पॉ (अ व) के अंतर्गत संरक्षित विभिन्न जोखिम कौन से हैं ?
>> ख पॉ (अ व) के अंतर्गत किन जोखिमों को रक्षा प्रदान नहीं की जाती ?
>> ख पॉ प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है ?
>> क्या एक से अधिक खरीदार के निर्यातों को रक्षा प्रदान करने के लिए ख पॉ (अ व) पॉलिसी जारी की जा सकती है ?
>> ख पॉ (अ व) की वैधता अवधि क्या है ?
>> ख पॉ (अ व) द्वारा प्रदान की जानेवाली रक्षा का प्रतिशत क्या है ?
>> ख पॉ (अ व) के अंतर्गत ई सी जी सी की अधिकतम देयता क्या है ?
>> ख पॉ (अ व) के संबंध में देय ऋण मूल्यांकन शुल्क क्या है ?
>> ख पॉ (अ व) के लिए लागू प्रीमियम दरें क्या है ?
>> ख पॉ (अ व) के लिए क्या कोई नो क्लेम बोनस है ?
>> ख पॉ (अ व) के लिए देय प्रीमियम का निर्धारण कैसे किया गया है तथा इसे कब अदा करना होगा ?
>> पिछली तिमाही के बाद आगे लाए गए अधिक / कम अदा किए गए प्रीमियम का समायोजन कैसे किया जाएगा ?
>> यदि निर्यातक पॉलिसी का नवीकरण नहीं करना चाहता तो पिछली तिमाही के बाद समायोजन कैसे किया जाएगा ?
>> ख पॉ (अ व) के अंतर्गत किन परिस्थितियों में रक्षा हटाई जा सकती है ?
>> ख पॉ (अ व) धारक निर्यातक के लिए कौनसी बाध्यताएँ हैं ?
>> ख पॉ (अ व) के अंतर्गत हानि को कब अभिनिश्चित किया जाएगा ?
>> ख पॉ (अ व) के अंतर्गत निर्यातक कब दावा दायर कर सकता है ?
>> ख पॉ (अ व) दावा के भुगतान पर वसूली के लिए निर्यातक को क्या कार्रवाई करनी होगी ?

>> ख.पॉ. - अ व क्या है तथा इसे कौन ले सकता है ?

खरीदारवार पॉलिसियाँ - अल्पावधि (ख पॉ - अ व), एक या उससे अधिक खरीदारों को १८० दिन तक के अल्पावधि ऋण पर किए गए माल के निर्यात में निहित वाणिज्यिक और राजनीतिक जोखिमों से भारतीय निर्यातकों को रक्षा प्रदान करने के लिए दी जाती हैं । जिस खरीदार के संबंध में पॉलिसी जारी की गई है, को किए जानेवाले सभी पोतलदानों

के लिए रक्षा प्राप्त करनी होगी (साख पत्र पर किए जानेवाले पोतलदानों को अपवर्जित करने की अनुमति के प्रावधान सहित) । ये पॉलिसियाँ (i) निर्यातक, जिन्होंने पो व्या जो पॉलिसी नहीं ली है (ii) निर्यातक जिन्होंने पो व्या जो पॉलिसी ली है, यदि खरीदार/रों को किए जानेवाले विचाराधीन सभी पोतलदानों को पो व्या जो पॉलिसी के सीमा क्षत्र से अपवर्जित करने की अनुमति प्रदान की गई है, द्वारा ली जा सकती है ।

>> विभिन्न प्रकारी की ख पॉ (अ व) क्या हैं ?

(क) खरीदारवार (वाणिज्यिक व राजनीतिक जोखिम) पॉलिसी - अल्पावधि

(ख) खरीदारवार (राजनीतिक जोखिम) पॉलिसी अल्पावधि

(ग) खरीदारवार (साख पत्र खोलने वाले बैंक के दिवालिया होने या चूक करने तथा राजनीतिक जोखिम) पॉलिसी - अल्पावधि

>> ख पॉ (अ व) के अंतर्गत संरक्षित विभिन्न जोखिम कौन से हैं ?

(i) वाणिज्यिक जोखिम : (ख पॉ - अ व पॉलिसियों के उपरोक्त (क) प्रकार के लिए)

खरीदार के दिवालियापन

भुगतान करने की विशिष्ट अवधि जो सामान्यतया देय तारीख से चार माह की होती है, के भीतर खरीदार द्वारा भुगतान करने में असफल होना

खरीदार की माल को स्वीकार करने में असफलता (कुछ शर्तों के अधीन)

(ii) राजनीतिक जोखिम : (सभी ख पॉ - अ व पॉलिसियों के लिए)

खरीदार के देश की सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना अथवा सरकार की ऐसी कोई कार्रवाई जिससे खरीदार द्वारा किए गए भुगतान के अंतरण में विलंब हो अथवा अंतरण अवरूद्ध हो;

खरीदार के देश में युद्ध, गृह युद्ध, विद्रोह अथवा असैनिक उपद्रव ;

नए आयात प्रतिबंध अथवा वैध आयात लाइसेंस को रद्द करना

भारत के बाहर समुद्री यात्रा में रुकावट या मार्ग परिवर्तन जिसके फलस्वरूप भाड़े या बीमा शुल्क की ऐसी अतिरिक्त अदायगी जिसकी राशि खरीदार से वसूल नहीं की जा सकती,

भारत से बाहर होनेवाली क्षति का कोई ऐसा कारण जिसके लिए साधारण बीमाकर्ता द्वारा संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता हो और जो निर्यातक और खरीदार दोनों के नियंत्रण के परे हो,

(iii) साख पत्र खोलने वाले बैंक के दिवालिया होने या चूक करने

(ख पॉ - अ व पॉलिसियों के उपरोक्त (ग) प्रकार के लिए)

साख पत्र खोलने वाले बैंक का दिवालियापन

साख पत्र खोलने वाले बैंक के भुगतान भी विनिर्दिष्ट अवधि जो सामान्यतया देय तारीख से चार माह की होती है, के भीतर भुगतान करने में असफल होना

>> **ख पॉ (अ व) के अंतर्गत किन जोखिमों को रक्षा प्रदान नहीं की जाती ?**

खरीदार द्वारा शुरु किए गए वाणिज्यिक विवाद, गूणवत्ता विवाद सहित, उन मामलों को छोड़कर जिनमें निर्यातक ने खरीदार के देश के किसी सक्षम न्यायालय से अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त की हो,

वस्तुओं के स्वरूप में निहित कारण,

खरीदार द्वारा अपने देश के प्राधिकारियों से आवश्यक आयात अथवा विदेशी मुद्रा संबंधी प्राधिकार प्राप्त न कर पाना,

निर्यातक के किसी एजेंट अथवा वसूलीकर्ता बैंक का दिवालिया होना या चूक करना,

वस्तुओं को हुई क्षति अथवा हानि,

विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में होने वाली घट - बढ और

निर्यातक द्वारा निर्यात संविदा की शर्तों को पूरा न कर पाना अथवा उसकी ओर से लापरवाही होना ।

>> **ख पॉ प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है ?**

निर्यातक को निर्धारित फार्म में प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा । प्रस्ताव पोतलदान करने से पहले प्रस्तुत करना होगा तथा रक्षा प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से प्रदान की जाएगी । (यदि निर्यातक, प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले किए गए किसी पोतलदान के लिए रक्षा चाहता है तो उसे विशिष्ट पोतलदान पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित किया जा सकता है जो उसकी निबंधनों व शर्तों के अधीन होगा) खरीदारवार / बैंकवार सीमा, पॉलिसी जारी करते समय निर्यातक द्वारा दर्शाए गए अधिकतम संभावित बकायों के आधार पर निर्धारित की जाएगी ।

>> **क्या एक से अधिक खरीदार के निर्यातों को रक्षा प्रदान करने के लिए ख पॉ (अ व) पॉलिसी जारी की जा सकती है ?**

हाँ बशर्ते कि ऐसे सभी खरीदारों के नाम प्रस्ताव में दर्शाए गए हों । तथापि, ख पॉ (अ व) की वैधता अवधि के दौरान, यदि निर्यातक नए खरीदार को किए जानेवाले निर्यातकों के लिए रक्षा चाहता है उसे दूसरी खरीदार वार पॉलिसी लेनी होगी ।

>> **ख पॉ (अ व) की वैधता अवधि क्या है ?**

यह पॉलिसी एक वर्ष के लिए वैध होगी ।

>> **ख पॉ (अ व) द्वारा प्रदान की जानेवाली रक्षा का प्रतिशत क्या है ?**

पॉलिसी के अंतर्गत सामान्यतया उपलब्ध रक्षा का प्रतिशत, संरक्षित पोतलदान के सकल मूल्य के ८०% होगा । तथापि, पॉलिसी इससे कम रक्षा के प्रतिशत पर भी उपलब्ध होगी जिसके समानुपात देय प्रीमियम की राशि मे भी कटौती होगी ।

>> **ख पॉ (अ व) के अंतर्गत ई सी जी सी की अधिकतम देयता क्या है ?**

अधिकतम सीमा वह सीमा है जहॉ तक ई सी जी सी पॉलिसी के अंतर्गत अपनी देयता स्वीकार करता है जिसकी गणना सभी खरादारों के संबंध में अनुमोदित खरीदारवार सीमाओ को जोडक़र की जाती है ।

>> **ख पॉ (अ व) के संबंध में देय ऋण मूल्यांकन शुल्क क्या है ?**

प्रत्येक खरीदार / बैंक के संबंध में खरीदार वार पॉलिसी हेतु प्रस्ताव के लिए १०००/- रु. ऋण मूल्यांकन शुल्क देया होगा । जहाँ प्रस्ताव एक से अधिक खरीदार / बैंक को रक्षा प्रदान करने के लिए है, प्रत्येक खरीदार / बैंक के लिए ५००/- रु. का शुल्क चार्ज किया जाएगा । यदि कारोबार की मात्राा मे वृद्धि के कारण सीमा मे वृद्धि की आवश्यकता है, ५००/- रु. का ऋण विस्तार शुल्क देय होगा ।

यदि केवल राजनीतिक जोखिमों को रक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव है तो कोई ऋण मूल्यांकन शुल्क चार्ज नहीं किया जाएगा ।

>> **ख पॉ (अ व) के लिए लागू प्रीमियम दरें क्या है ?**

प्रीमियम दरें, भुगतान की शर्तें, खरीदार के देश के वर्गीकरण तथा पोतलदानों के व्यापक जोखिमों, बैंक जोखिमों अथवा केवल राजनीतिक जोखिमों के अंतर्गत संरक्षित करने के आधार पर अलग-अलग होंगी । किसी सौदा विशेष के लिए प्रीमियम दर की जानकारी प्राप्त करने हेतु "प्रीमियम कॅलक्यूलेटर" पर यहाँ क्लिक करें ।

>> **ख पॉ (अ व) के लिए क्या कोई नो क्लेम बोनस है ?**

नहीं ।

>> **ख पॉ (अ व) के लिए देय प्रीमियम का निर्धारण कैसे किया गया है तथा इसे कब अदा करना होगा ?**

प्रीमियम की गणना, प्रस्ताव फार्म में दिए गए अनुमान तथा लागू प्रीमियम दरों को ध्यान में रखकर की जाएगी । प्रथम तिमाही के प्रीमियम की अदायगी, प्रीमियम मंगाने की तारीख से १५ दिनों के भीतर की जानी चाहिए । बाद की तिमाहियों के प्रीमियम, परिकल्पित पण्यावर्त के आधार पर तथा पूर्व की तिमाही के लिए अदा किए गए प्रीमियम में पाई गई अधिकता अथवा कमी यदि कोई है, को समायोजित करने के बाद संबंधित तिमाही के शुरु होने से १५ दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए ।

>> **पिछली तिमाही के बाद आगे लाए गए अधिक / कम अदा किए गए प्रीमियम का समायोजन कैसे किया जाएगा ?**

अंतिम तिमाही के अंत में वास्तविक पण्यावर्त परिकल्पित पण्यावर्त से अलग हो सकता है । ऐसे मामलों में, यदि निर्यातक अगली अवधि के लिए पॉलिसी का नवीकरण करता है, नवीकृत पॉलिसी की प्रथम तिमाही के प्रीमियम की गणना करके अधिकता अथवा कमी को समायोजित किया जाएगा । यदि किसी एक खरीदार के संबंध में कोई अतिरिक्त

प्रीमियम अदा किया गया है उसे पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित किसी दूसरे खरीदार को किए गए पोतलदानों के लिए समायोजित किया जा सकता है ।

>> यदि निर्यातक पॉलिसी का नवीकरण नहीं करना चाहता तो पिछली तिमाही के बाद समायोजन कैसे किया जाएगा ?

जहाँ निर्यातक उन किसी भी खरीदारों पर रक्षा का नवीकरण नहीं चाहता, जिन पर उसने पहले रक्षा ली थी, निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए :

i) यदि तिमाही के लिए वास्तविक प्रीमियम, परिकल्पित पण्यावर्त के लिए, लिए गए प्रीमियम से अधिक है तो निर्यातक को उसका अंतर अदा करने की सूचना दी जाएगी । यदि निर्यातक, मांगे गए प्रीमियम की तारीख से १५ दिनों के भीतर प्रीमियम अदा करने में असफल होता है, पॉलिसी के संबंध में किसी भी हानि के लिए रक्षा, उसी पण्यावर्त तक सीमित होगी जिसके लिए प्रीमियम अदा किया गया है ।

ii) यदि वास्तविक प्रीमियम, परिकल्पित पण्यावर्त के लिए लिए गए प्रीमियम से कम है, अधिक राशि लौटा दी जाएगी ।

>> ख पॉ (अ व) के अंतर्गत किन परिस्थितियों में रक्षा हटाई जा सकती है ?

ई सी जी सी निर्यातक को अपने इरादे की सूचना देते हुए किसी भी समय रक्षा वापस ले सकता है । अधिक खरीदारों के मामले में ई सी जी सी केवल किसी एक खरीदार से ही रक्षा वापस ले सकता है और अन्य खरीदारों के संबंध में पॉलिसी जारी रहेगी । किसी व्यक्तिगत खरीदार-वार पॉलिसी के मामले में, पॉलिसी रक्षा हटाने की तारीख से समाप्त हो जाएगी । उस तारीख के बाद खरीदार को किए गए पोतलदानों को, खरीदार-वार पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित नहीं माना जाएगा ।

>> ख पॉ (अ व) धारक निर्यातक के लिए कौनसी बाध्यताएँ हैं ?

(i) किए गए पोतलदानों के विवरण की प्रस्तुति : खरीदारवार पॉलिसी के अंतर्गत खरीदार(रों)/बैंक(कों) के संबंध में निर्यातक को, तिमाही की समाप्ति के बाद १५ दिनों के भीतर, तिमाही के दौरान किए गए पोतलदानों का विवरण प्रस्तुत करना होगा । विवरण में पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित खरीदार(रों)/बैंक(को) के संबंध में अगली तिमाही के लिए परिकल्पित पण्यावर्त दर्शाना भी आवश्यक है । पहली तिमाही के लिए अदा किए गए प्रीमियम में पाई गई अधिकता अथवा कमी यदि कोई है, को समायोजित कर परिकल्पित पण्यावर्त के लिए विवरण के साथ प्रीमियम अदा करना होगा ।

(ii) अतिदेयों के विवरण की प्रस्तुती : प्रत्येक माह की १५ तारीख को अथवा उसके पहले संविदा के अंतर्गत उन पोतलदानों के भुगतानों का विवरण जो देय तारीख से ३० दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहे हो, प्रस्तुत करना होगा ।

(iii) जोखिम को प्रभावित करने वाली घटनाओं की सूचना : यदि निर्यातक को ऐसी किसी घटना का पता चलता है जिससे जोखिम प्रभावित हो, उसे किसी भी हाल में ३० दिनों के भीतर ई सी जी सी को इसकी सूचना देनी होगी ।

(iv) हानि को कम करने की कार्रवाई : किसी भी पोतलदान के भुगतान की स्थिति में तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए । पोतलदान जिसके लिए पॉलिसी ली गई है, के भुगतान प्राप्त न होने का पता चलते ही निर्यातक को चाहिए कि हानि से बचने/कम करने के लिए, ई सी जी सी द्वारा सुझाई गई कार्रवाईयों सहित सभी कार्रवाई करे । हानि से बचने/कम करने की कार्रवाई, प्रत्येक मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर आधारित होगी । की जाने वाली कुछ कार्रवाई के बारे में नीचे बताया गया है जिसे तत्काल किया जाना है : (क) भुगतान करने के लिए खरीदार के पीछे पड़ना साथ ही साथ गैर अदायगी के लिए बिल को नोट व प्रसाक्ष्यित कर, वसूली अधिकार बनाए रखना, (ख) बिल की देय तारीख में किसी प्रकार के विस्तार के लिए सहमत न होना जब तक कि ऐसा करने के लिए उचित कारण न हो । इस प्रकार का विस्तार प्रदान करने के लिए निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए । यदि विस्तार प्रदान करते समय, निगम द्वारा कोई शर्त लागू की गई है यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शर्तों का अनुपालन किया गया है । (ग) जहाँ खरीदार द्वारा प्रलेखों/माल को स्वीकार नहीं किया गया है, माल की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करना तथा मूल खरीदार को उचित सूचना देते हुए वैकल्पिक खरीदार को माल की पुनर्विक्री करना । यदि हानि सकल बीजक मूल्य के २५% से अधिक होने की संभावना है ; पुनर्विक्री के लिए निगम का पूर्व अनुमोदन लिया जाना चाहिए । (घ) यदि पुनर्विक्री संभव नहीं है, ई सी जी सी के पूर्व अनुमोदन से माल को पुन: भारत में वापस लाना (यदि हानि, सकल बीजक मूल्य के २५% तक है तो इस अनुमति की आवश्यकता नहीं हैं ।) (च) खरीदार को और कोई पोतलदान न करना जब तक कि उसने चूकाधीन बिल का भुगतान न कर दिया हो ।

>> ख पॉ (अ व) के अंतर्गत हानि को कब अभिनिश्चित किया जाएगा ?

सामान्यतया हानि, देय तारीख के चार माह बाद अभिनिश्चित की जाती है । दिवालयापन के जोखिम के मामले में, रिसीवर द्वारा ऋण की हामी भरने की तारीख से एक माह बाद अथवा देय तारीख से चार माह, इनमें से जो भी पहले हो । जहाँ ऋण की हामी अभी रिसीवर द्वारा भरी जानी है, निर्यातक से यह कहते हुए एक वचन लेना होगा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है अथवा ऐसा कोई काम करना नहीं छोड़ा है, जिससे दिवालिए की संपत्ति से उसका दावा अपात्र ठहरे । जहाँ हानि माल की स्वीकार न करने के कारण हुई

है, हानि, केवल ई सी जी सी के अनुमोदन से माल की पुनर्विक्री अथवा माल को नष्ट करने पर ही अभिनिश्चित की जाएगी तथा यह किसी भी हाल में भुगतान की देय तारीख से चार माह से पूर्व नहीं होगा ।

>> ख पॉ (अ व) के अंतर्गत निर्यातक कब दावा दायर कर सकता है ?

निर्यातक हानि का पता चलने के बाद पॉलिसी के अंतर्गत दावा किसी भी समय फाइल कर सकता है किंतु वह दावाधीन पोतलदान के भुगतान की देय तारीख से एक वर्ष के भीतर हो ।

>> ख पॉ (अ व) दावा के भुगतान पर वसूली के लिए निर्यातक को क्या कार्रवाई करनी होगी ?

दावे के भुगतान पर, निर्यातक द्वारा खरीदार से देयों की वसूली के लिए कार्रवाई करना जारी रहेगा जिनमें निगम द्वारा बताई गई कार्रवाई भी शामिल होगी । देयों की वसूली के लिए व्यय की गई किसी भी राशि का वसूली पर पहला अधिकार होगा । वसूल की गई राशि का बँटवारा, वसूली व्यय घटाकर निगम व निर्यातक में उसी अनुपात किया जाएगा । जिस अनुपात में हानि वहन की गई थी ।

विशिष्ट पोतलदान पॉलिसी के प्रस्ताव फार्म को डाउन लोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें ।

अन्य किसी स्पष्टीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें ।